

50/2015 गोपाल - साधरा वानो आदि

दिनांक

आज्ञा पत्र



9.2.21

पत्रावली हाउ वकील अपीलान्त
की जायजगपु पर जेसी देलीवरी

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर
बाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः
अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील
अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे
अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है।
फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की
जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण
फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तत्तीय
सकमील दाखिल दफतर हो।

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

NOTED

गोपाल 213

रहस्येय
मन्त्रालय

गोपाल
पदचारा

महाराष्ट्र
वकील संघ